शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-55/2016/जी०आई० 59/52-1-2016-28(एम०एस०डी०पी०)/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 28 अप्रैल, 2016**

विषय- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत आई0टी0सेल में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3770/अ0सं0क0नि0/ 633/एम०एस० डी०पी०/आई०टी०सेल/15-16, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-3/22/ 2008(यू०पी०)-पी०पी०-I, दिनांक 23.03.2016 द्वारा योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर्स के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु निम्नप्रकार कुल रू0 1,83,60,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है :-

| क्र० | परियोजना का नाम | ऑपरेटरों की संख्या | ऑपरेटरों के प्रतिमाह भुगतान योग्य धनराशि | भारत सरकार से प्राप्त कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रदेश स्तर पर आई०टी०सेल में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर | 02 | 15,000 | 1,83,60,000 |
| 2 | प्रदेश स्तर पर आई०टी०सेल में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर | 02 | | |
| 3 | 49 जिलों में लखनऊ सहित आई०टी०सेल में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर (प्रति जिला 02 ऑपरेटर) | 98 | | |

2- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 5,10,00,000/- (रू० पांच करोड़ दस लाख मात्र) आय-व्ययक प्राविधान है, जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

http://shasnadesh.up.nic.in

उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू० 01,83,60,000/- (रू० एक करोड़ तिरासी लाख साठ हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं । उक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान पर ही किया जायेगा ।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना(के० 100 / रा० 0-के०)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (यकव्य-आय)अनुभाग 1-के कार्यालय/1-ज्ञाप संख्या-2016/-1- बी /746दस/231-2016-2016, दिनांक 2203--2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

**(श्रीप्रकाश सिंह)**
सचिव।

संख्या-जी०आई० 59(1)/52-1-16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-11 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
6- सम्बन्धित सहायक/अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-1।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(राम नगीना मौर्य)**
**उप** सचिव।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in